**राजस्थान सरकार**
**निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ**
**राजस्थान, जयपुर**

क्रमांकःF26(4)(36)/ पल्स पोलियों /IEC/ICDS/2017-18/ 20163 जयपुर दिनांक : 27-12-17

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त

**विषयः–28 जनवरी 2018 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस का प्रथम चरण आयोजन के संबंध में दिशा–निर्देश**
**संदर्भः–प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अ.शा. पत्र क्रमांक 2064 दिनांक 13.12.2017**

विषयान्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में 28 जनवरी 2018 को राष्ट्रीय पल्स पोलियों टीकाकरण का प्रथम चरण आयोजित किया जा रहा है। इस चरण में गत अभियान की भांति ही 5 वर्ष से छोटे बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन पिलायी जायेगी। प्रथम दिवस बूथ पर एवं अगले दिनों में दलों द्वारा घर–घर जाकर उन बच्चों को ओ.पी.वी. पिलायी जावेगी, जो किसी कारणवश बूथ पर नहीं आप पाये। इस संबंध में पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

इस संबंध में संबंधित उपनिदेशक अपने जिले के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियो, पर्यवेक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा–सहयोगिनियों को राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस को सफल बनाने हेतु निम्नानुसार निर्देशित करना सुनिश्चित करें:–

1. अभियान में मानव संसाधन उपलब्ध करवाया जाए।
2. बूथ दिवस पर आंगनबाड़ी केन्द्र खुले रखे जाएं।
3. बूथ दिवस पर अधिक से अधिक बच्चों को बूथ पर लाने हेतु प्रेरित किया जाए।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभाग के सभी कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
5. प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं अभियान की अवधि के दौरान विभाग की कोई बैठक/कार्यशाला अथवा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जावे। यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहले से ही किसी विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने गई हुई है, उस केन्द्र पर कार्यरत सहायिका द्वारा इस अभियान हेतु कार्य संपादित किया जाये।
6. विभागीय स्तर से, इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु, यथासंभव संबंधित क्षेत्र की महिला पर्यवेक्षक द्वारा कार्यक्रम का सुपरविजन किया जावें।

**निदेशक**
**समेकित बाल विकास सेवाएं**
**राजस्थान, जयपुर**

क्रमांकःF26(4)()/ मीजल्स /ICDS/2013/ 20164-1771 जयपुर दिनांक : 27-12-17
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज0 जयपुर
3. निदेशक, आरसीएच,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर
4. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं,।
5. एसीपी (उप निदेशक), मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।

**सहायक निदेशक (आईईसी),**
**समेकित बाल विकास सेवाएँ,**
**राजस्थान जयपुर**